# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

| अपील संख्या | रजि0 न0 | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 12/09/2014 | 2014/00032 | 10.03.2014 | 19.03.2024 |

1.सरकार जरिये महेश चंद शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी, राजगढ, मुख्यालय अलवर।

**बनाम**

1.श्री धारा सिंह मीणा पुत्र श्री दुल्लीराम मीणा, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम ईंटोली, तहसील रैणी, जिला अलवर।

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 268 कि.ग्रा. गेंहू मय बारदाना को राजसात करने बाबत्।

उपस्थितः-

01. श्री श्योराम सिंह नरूका — वकील रैस्पोडेन्ट

-:निर्णयः-

प्रवर्तन अधिकारी राजगढ, मुख्यालय अलवर ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के आदेश क्रमांक एफ77(1) खा0वि0/विशे0 जांचदल /मुख्यालय/14 दिनांक 21.02.2014 की अनुपालना में दिनांक 28.02.2014 को श्री धारा सिंह मीणा पुत्र श्री दुल्लीराम मीणा, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम ईंटोली, तहसील रैणी, जिला अलवर परिसर में स्थित दुकान का निरीक्षण किया गया। जांच हेतु वीरेन्द्र शेखावत, जि0र0अ0 (विशेष जांच दल, जयपुर) बहमराह श्री रवि जाधव प्र0नि0, श्री सादिक अली प्र0नि0, श्री महेश शर्मा प्र0अ0, श्री विनोद जुनेजा प्र0अ0, श्री निशान्त पंचोली प्र0नि0 मौके पर पहुचें। वक्त निरीक्षण दुकान खुली पाई गई। मौके पर श्री धारा सिंह मीणा पुत्र श्री दुल्लीराम मीणा, उचित मूल्य दुकानदार उपस्थित था। मौके पर उचित मूल्य दुकान के बाहर नाम पता व मूल्य स्टॉक सूची बोर्ड का प्रदर्शन नहीं पाया गया। मौके पर डीलर द्वारा यूनिट रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। वक्त निरीक्षण दुकानदार द्वारा प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। निरीक्षण के दौरान स्वयं दुकानदार द्वारा निरीक्षण करवाया गया एवं उचित मूल्य दुकान संबंधी रिकॉर्ड वास्ते निरीक्षणार्थ उपलब्ध करवाया। उचित मूल्य दुकान के माह फरवरी 2014 के स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर के अनुसार स्टॉक निम्नानुसार पाया गया।

| क्र0 स0 | योजना | पूर्व स्टॉक | प्राप्त गेंहू | योग | वितरण | शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खाद्य सुरक्षा गेंहू | निल | 39.28 | 39.28 | 31.86 | 7.42 |
| 2 | बीपीएल एवं एपील गेंहू | निल | 23.00 | 23.00 | 20.00 | 3.00 |

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | अन्त्योदय गेंहू | निल | 2.80 | 2.80 | 1.40 | 1.40 |
| 4 | केरोसील ली0 | निल | 1400 | 1400 | 735 | 665 |

भौतिक सत्यापन पर 26 कट्टों में कुल 14.50 क्वि0 गेंहू पाया गया। मौके पांच कट्टों का वजन कराने पर प्रति कट्टा वजन 50 किग्रा होना पाया गया। सभी कट्टे मशीन की सिलाई किये हुये पाये गये। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर के अनुसार गेंहू का कुल स्टॉक 11.82 क्वि0 होना चाहिये था किन्तु भौतिक सत्यापन पर 14.50 क्वि0 स्टॉक पाया गया जो कि 2.68 क्वि0 अधिक होना पाया गया। उक्त 2.68 क्वि0 अधिक स्टॉक को श्री धारा सिंह मीणा के कब्जे से कब्जेराज किया गया एंव गांव में अन्य उचित मूल्य नहीं होने के कारण कब्जेराज गेंहू को श्री सुखराम मीणा को बतौर सरकारी अमानत पृथक से फर्द सुपुर्दगीनामा तैयार कर सुपुर्द किया गया। इस प्रकार श्री धारा सिंह मीणा पुत्र श्री दुल्लीराम मीणा, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम ईटोली, तहसील रैणी, जिला अलवर द्वारा राशन वितरण में उपरोक्त अनियमितताएं बरत कर राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) अधिनियम 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,7,8,10,11 एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय है। अतः उक्त राजसात जब्तशुदा 2.68 क्वि0 गेंहू एवं बारदाना को राजसात करने की कृपा करें। चूंकि गेंहू एक खाद्यान्न है तथा शीघ्र खराब होने वाली वस्तु होने के कारण अंतरिम निस्तारण राशन कार्डों पर खाद्य सुरक्षा योजना में वितरण कर करवाने की कृपा करें। विभागीय कार्यवाही हेतु जांच रिपोर्ट खाद्य विभाग में प्रस्तुत कर दी गई है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित। अप्रार्थी ने न्यायालय द्वारा जारी नोटिस 203 दिनांक 11.03.2014 के क्रम में अपने जवाब में निवेदन किया कि आपके कार्यालय का कारण नोटिस मिला जिससे जानकारी हुई की इसमें सुनवाई की तारीख पेशी 28.04.2014 है। सतर्कता दल खाद्य सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर ने दिनांक 28.02.2014 को निरीक्षण किया। जांच दल ने जांच की ओर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत राशन वितरण में अनियमितताएं बरतकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,7,8,10 एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय है और 2.68 क्वि0 गेंहु को डीलर को सुपुर्दगी पर दिया जाना लिखा गया है इसमें मात्र इतना स्वीकार है कि प्रार्थी डीलर को 2.68 क्वि0 गेंहू बतौर सुपुर्द किए गए हैं लेकिन प्रार्थी पर जो प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,7,8,10 व 18 का उल्लंघन होना लिखा है गलत है स्वीकार नहीं। प्रार्थी डीलर की किसी प्रकार की बदयान्ति नहीं रही है। प्रार्थी डीलर अपना राशन सामग्री का वितरण समय–समय पर करता रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। प्रार्थी डीलर ने प्राधिकार की उपरोक्त शर्तों का सदैव पालन किया है। प्रार्थी डीलर इस संबंध में शपथ पत्र संलग्न कर रहा है। प्रार्थी डीलर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कोई दण्डनीय अपराध नहीं किया है और प्रार्थी डीलर निर्दोष है। अतः जवाब श्रीमान के समक्ष

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी डीलर निर्दोष है और प्रार्थी डीलर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कोई दण्डनीय अपराध नहीं किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया। दिनांक 28.02.2014 को उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान के बाहर नाम पता व मूल्य स्टॉक सूची बोर्ड का प्रदर्शन नहीं पाया गया। मौके पर डीलर द्वारा यूनिट रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। वक्त निरीक्षण दुकानदार द्वारा प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया साथ ही फरवरी 2014 के स्टॉक और वितरण रजिस्टर के भौतिक सत्यापन पर कुल 26 कट्टों में 14.50 क्वि0 गेंहु पाया गया। रजिस्टरों के अनुसार गेंहू का कुल स्टॉक 11.82 क्वि0 होना चाहिए था जिसमें 2.68 क्वि0 अधिक पाया गया। जो प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय है। अप्रार्थी द्वारा भी नोटिस के जवाब में कोई खास तथ्य पेश नहीं किए गए हैं और न ही जवाब के साथ अतिरिक्त गेंहू के स्टॉक के संबंध में कोई साक्ष्य, सबूत पेश किए गए हैं। प्रार्थना पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर 268 कि.ग्रा. गेंहू मय बारदाना राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी अलवर को निर्देशित किया जाता है कि अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि जमा राजकोष कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/3/24

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)